Hindustan Edition Delhi
1.5.2017 Page 11
Height 35.68cm Width 34.37 cm

AADHAAR

आधार में हैकर्स के लिए कुछ नहीं है

विभिन्न सरकारी विभागों और योजनाओं से आधार को जोड़े जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस पर राजनीतिक वर्ग के साथ-साथ देश के बौद्धिक तबके की तरफ से भी कई आशंकाएं जताई जा रही हैं, जिनमें निजता के अधिकार का उल्लंघन सबसे बड़ी चिंता है। देश की शीर्ष अदालत में भी आधार की अनिवार्यता को लेकर कानूनी जंग लड़ी जा रही है। इस पहचानपत्र से जुड़ी तमाम आशंकाओं और पहलुओं पर 'यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया' यानी यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पाण्डेय से *मिंट* के अश्विनी कुमार शर्मा ने बात की। प्रस्तुत है उस बातचीत का अंशः

आधार का सफरनामा

साल 1993 में भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदाता फोटो पहचानपत्र के साथ-साथ एक विशेष पहचानपत्र मुहैया कराने का विचार अपनाया गया था। बाद में 2003 में बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचानपत्र (एमएनआईसी) का विचार सामने आया। लेकिन पहली बार तीन मार्च, 2006 को संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गंभीरता के साथ बीपीएल परिवारों को 'यूनिक आईडी' जारी करने की प्रशासनिक मंजूरी दी। विभिन्न सुझावों व विकास क्रम से गुजरते हुए जनवरी 2009 में सचिवों की एक समिति ने यूआईडीएआई के गठन की सिफारिश की, जिसे योजना आयोग ने अधिसूचित किया। नंदन नीलेकणी इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अंततः पहला आधार संख्या 29 सितंबर, 2010 को महाराष्ट्र के नंदुरबार के एक व्यक्ति को जारी की गई।

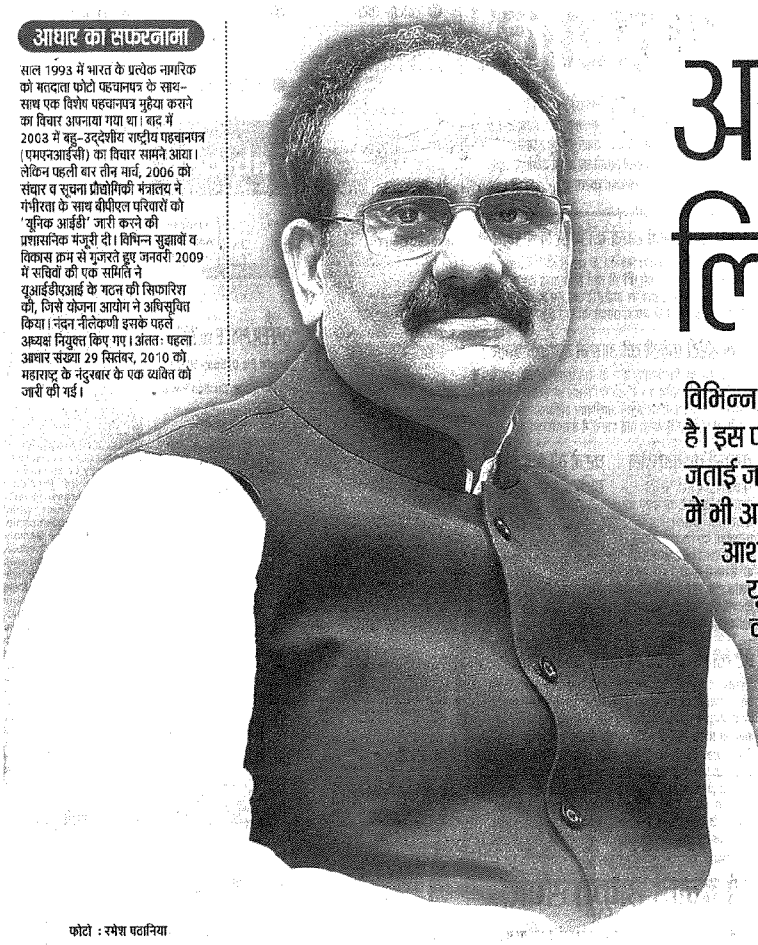

फोटो : रमेश पठानिया

● **आखिर आधार को उन लोगों के लिए भी क्यों अनिवार्य बनाया जा रहा है, जो इसके बगैर ही अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं?**

देखिए, आधार के बारे में सबको व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा, सभी को यह समझना पड़ेगा कि किन उद्देश्यों के लिए और कहां-कहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे देश में अपनी पहचान साबित करने के लिए पारंपरिक रूप से जिन-जिन दस्तावेजों का उपयोग किया जाता रहा है, उसके मुकाबले यह कहीं अधिक भरोसेमंद तरीके से हमारी पहचान स्थापित करता है। हमने अपने कई अध्ययनों में यह पाया है कि आप जिस किसी भी पहचानपत्र को जारी करें, तुरंत उनकी फर्जी, नकली और जाली प्रतियां बाजार में तैरने लगती हैं, और फिर इस तरह ये कई तरह की मुश्किलें पैदा करती हैं। अगर विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी पाने या उनकी सेवा हासिल करने के लिए जाली पहचानपत्र का इस्तेमाल होता है, तो इससे बड़े पैमाने पर उस धन का रिसाव होता है, जो इस मद में आवंटित किया जाता है और फिर उस राशि की दिशा बदल जाती है। अगर जाली दस्तावेज का उपयोग ऐसी सेवाओं के लिए किया गया, जिनमें कोई सरकारी रियायत नहीं मिलती, तो वहां उन सेवाओं की गुणवत्ता पर इसका बुरा असर पड़ेगा।

उदाहरण के लिए, अगर पैन कार्ड या बैंक खाता खुलवाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया, तो कल्पना कीजिए कि पूरे सिस्टम पर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है- इससे काला धन तो पैदा होगा ही, करों की चोरी बढ़ेगी और धोखाधड़ी भी बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है कि इससे सरकार प्रभावित होगी, तो फिर करदाता प्रभावित होंगे और अंततः देश की जनता प्रभावित होगी।

फर्ज कीजिए, अगर कोई जाली दस्तावेज की बुनियाद पर बैंक खाता खुलवाने, और फिर उसमें लेन-देन करने में कामयाब हो जाता है, तो वह आसानी से काफी सारे लोगों से पैसे इकट्ठा कर चंपत भी हो सकता है। आधार के बाद यह सब करना मुश्किल हो जाएगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि बिल्कुल 'असंभव' हो जाएगा, लेकिन यदि आधार पहचानपत्र प्रचलन में आया, तो फर्जीवाड़ा करना बहुत कठिन अवश्य हो जाएगा।

आज हमारे देश के तकरीबन एक अरब, 13 करोड़ नागरिकों के पास आधार कार्ड उपलब्ध हैं, तो फिर क्यों न अपने सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त करने, बेहतर सेवाओं की आपूर्ति और इसके यूजर्स की सुरक्षा के लिए इनका इस्तेमाल किया जाए?

● **जिस तरह से कई सारे कामों के लिए आधार अनिवार्य होता जा रहा है, क्या हम सचमुच उस दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां कुछ वेबसाइटों या यूआईडीएआई पर हमारी सारी सूचनाएं, जैसे कि मेरे आयकर, निवेश और बैंक संबंधी ब्योरे एक ही जगह पर मिल जाएंगे?**

यूआईडीएआई के पास ऐसी सूचना नहीं होती है कि आपने अपना आधार कहां-कहां इस्तेमाल किया है। यूआईडीएआई न्यूनतम सूचनाओं को इकट्ठा करने और उनकी गोपनीयता की श्रेष्ठतम रक्षा में यकीन रखता है। इसलिए यूआईडीएआई संबंधित एजेंसी को सिर्फ यही बताता है कि यह आधार नंबर और इस अंगुली के निशान मिलते हैं। अब वह एजेंसी किस मकसद से इस सूचना का इस्तेमाल करेगी, हम इसके बारे में नहीं पूछते हैं।

इसलिए यूआईडीएआई के पास कभी कोई ऐसा डाटा नहीं होता, जो आपकी निजता की रक्षा के अधिकार को प्रभावित करता हो। आपके ब्योरे सिर्फ आयकर विभाग के पास होंगे या फिर वे आपके आधार नंबर के साथ बैंकों के पास होंगे। यूआईडीएआई के पास कभी भी आपका बैंक संबंधी ब्योरा या आयकर से जुड़ा ब्योरा नहीं होता है। इसलिए लोगों को घबराने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूआईडीएआई के पास बिल्कुल अलग किस्म का डाटा होता है और अगर किसी ने इसे हैक भी कर लिया, तो उसे आपका सब कुछ कतई नहीं पता चल पाएगा। यह इसलिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम डाटा नहीं जुटाते।

● **आधार इसके उपयोगकर्ताओं के लिए कितना सुरक्षित है?**

यह एक ऐसा सवाल है, जो बहुत सारे लोग आज पूछ रहे हैं। इसके जवाब के दो पहलू हैं। पहला, आधार की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा पक्ष है। इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि हां, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर आप पिछले सात साल का हमारा रिकॉर्ड देखें, तो आपको एक भी ऐसा मामला नहीं मिलेगा, जो इसके सिस्टम को हैक करने या इसमें गलत सूचनाओं की घुसपैठ कराने से जुड़ा हुआ हो। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमें संतुष्ट होकर बैठ जाना है। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि सुरक्षा संबंधी खतरों की प्रकृति भी लगातार बदलती रहती है। इसलिए हमें हमेशा चौकस रहना पड़ेगा और इसकी अचूक निगरानी के लिए निरंतर कदम उठाते रहना होगा। हम सुरक्षा संबंधी खतरों की लगातार समीक्षा के लिए हरसंभव कवायद करते रहेंगे। इस वक्त हम यह कह सकते हैं कि यह पूर्ण सुरक्षित हैं, लेकिन हम कल को भी सुरक्षित करने के प्रयास करते रहेंगे। यह तो रही पहली बात। अब उन लोगों या संगठनों की सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे बैंक या दूसरे संगठन, जो आधार का इस्तेमाल करते हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं कि आखिरकार इंसान ही इसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस संबंध में हमारे देश ने एक काफी सख्त कानून बना रखा है। और यह कानून आधार का इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों और संगठनों के ऊपर कई तरह के अंकुश भी लगाता है। मसलन, उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा संबंधी व्यवस्था को कैसे चुस्त-दुरुस्त करना चाहिए, उन्होंने जो आंकड़े जुटा रखे हैं, उनका इस्तेमाल वे किस तरह से करें कि उनका कोई दुरुपयोग न होने पाए। और फिर भी अगर कहीं कानून का उल्लंघन होता है, तो आधार कानून काफी कठोर है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले शख्स को तीन साल की कैद हो सकती है।

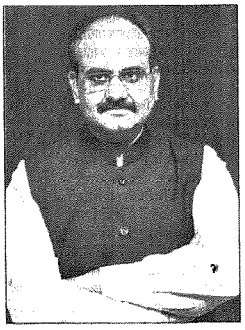

● **आधार का इस्तेमाल करने वाले संगठन के स्तर से अगर कोई उल्लंघन होता है, तो यूआईडीएआई कैसे इसे चेक करता है? इसकी क्या प्रक्रिया है?**

कई चीजें हैं। कई ऐसी एजेंसियां हैं, हम जिनके लगातार संपर्क में रहते हैं। हम उनका ऑडिट करते रहते हैं, और अगर ऑडिट के दौरान हमें कुछ भी गलत मिलता है, तो फौरन इस पर कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा, अगर कोई कानूनी उल्लंघन होता है, और हमारे पास इसकी शिकायत आती है, तो हम कार्रवाई करते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो इसकी हिफाजत के लिए जिम्मेदार लोगों और संगठन के मामले में उसके शीर्ष प्रबंधन को जवाबदेह माना जाएगा और उनके खिलाफ आधार कानून के तहत कठोर कार्रवाई होगी। चूंकि डिजिटल दुनिया में हरेक ट्रांजेक्शन का पता लग सकता है, इसलिए आधार आपको एक ऐसा सिस्टम भी मुहैया कराएगा, जिससे पता चल सके कि किसने ट्रांजेक्शन किया है। इसलिए, यह पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि आखिर किसने वह फर्जी ट्रांजेक्शन किया है?

● **आधार बनवाने की प्रक्रिया कितनी सुरक्षित है? क्या यह संभव नहीं कि कोई मेरी अंगुलियों के निशान, आंखों की पुतलियों की छवि बायोमीट्रिक डिवाइस से हासिल कर ले, और बाद में बगैर मेरी इजाजत के उनका इस्तेमाल कर ले?**

आधार का किसी अन्य उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम भी किसी अन्य मकसद के लिए इस दस्तावेज का उपयोग नहीं करते। लेकिन फर्ज कीजिए कि यदि कोई सेवा प्रदाता एजेंसी आपकी अंगुलियों के निशान लेती है, और फिर इसका इस्तेमाल वह किसी दूसरे मकसद के लिए करती है, तो वह इसके लिए जवाबदेह हो जाएगी। इस बात को कुछ इस तरह से समझिए कि यह ऐसी ही स्थिति होगी कि आपने अपने बैंक को अपना दस्तखत दिया और बैंक आपके उस हस्ताक्षर की नकल करके आपके खाते से पैसे निकालना शुरू कर दे।

बहरहाल, किसी एजेंसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि वह बायोमैट्रिक्स को अपने पास स्टोर करे या किसी ऐसी प्रक्रिया में उसका इस्तेमाल करे, जिसमें यह नहीं किया जा सकता। यहां तक कि बुरी से बुरी स्थिति में भी यदि वे बायोमीट्रिक्स को स्टोर करने में कामयाब हो गए, तो जब कभी भी वे इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, आपके पास इसकी सूचना जरूर पहुंचेगी। इसके आधार पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और फिर उसके बाद जांच शुरू हो जाएगी। पुलिस यह पता करेगी कि आखिर किस व्यक्ति ने ट्रांजेक्शन किया है। आधार में इस उच्च स्तर की सुरक्षा-व्यवस्था है।

आधार बायोमीट्रिक्स की लॉकिंग की सुविधा भी मुहैया कराता है; इसलिए कोई अन्य इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब तक कि आप इसको खोलते नहीं, और इसे खोलने के लिए आपके मोबाइल पर 'वन टाइम पासवर्ड' भेजा जाता है। एक बार जब आप इस पासवर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पंद्रह मिनट के बाद वह फिर से लॉक हो जाता है।

● **हाल ही में आयकर रिटर्न (आईटीआर) और परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) से आधार को जोड़े जाने को अनिवार्य बना दिया गया है। आखिर यह एक नागरिक के जीवन को कैसे सरल बनाता है? क्या इस कवायद का एकमात्र मकसद करचोरों और जालसाजों को पकड़ना है?**

जहां तक यूआईडीएआई की बात है, तो इसका काम सिर्फ पहचान स्थापित करना और प्रामाणीकरण है। अब किस मकसद के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करना विभागों व मंत्रालयों के ऊपर है। मोटे तौर पर हम यही कह रहे हैं कि यह एक पहचान है, और यह पहचान विश्वसनीय है। यह प्रामाणीकरण दूसरी अन्य व्यवस्थाओं के मुकाबले भरोसेमंद है। अगर सरकार कह इच्छा है और वह यह सोचती है कि पैन और आईटीआर को भी इसकी मदद से मजबूत किया जाए, तो ये विभाग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे यही मकसद रहा होगा। यह पूरे सिस्टम की क्षमता में सुधार करेगा। जाहिर है, इसके कई सारे फायदे होंगे।

> यूआईडीएआई के पास कोई ऐसा डाटा नहीं होता, जो आपकी निजता की रक्षा के अधिकार को प्रभावित करता हो। आपके ब्योरे सिर्फ आयकर विभाग के पास होंगे या फिर वे आपके आधार नंबर के साथ बैंकों के पास होंगे। यूआईडीएआई के पास आपका बैंक संबंधी ब्योरा या आयकर से जुड़ा ब्योरा नहीं होता है। आधार सिर्फ पहचान के लिए है।

पढ़ें www.livehindustan.com पर भी